-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पिता की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को किया गया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हंसिया बरामद।**

❖ **अभियुक्त द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते कल दिनांक 30.10.2026 को दिया गया था घटना को अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 30.10.2026 की देर शाम थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पिता की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हंसिया बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 30.10.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बांधा पुरवा में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। सूचना पर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके का गहनता से अवलोकन कर सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक व भौतिक साक्ष्यों का संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हसिंया भी बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- 01 आलाकत्ल हंसिया

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीलम पुत्र मोतीलाल निवासी बांधा पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 559/26 धारा 103(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर
2. श्री प्रभुनाथ यादव निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली नगर
3. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज
4. श्री उत्कर्ष सिंह चौकी प्रभारी अतर्रा चुंगी
5. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह
6. कां0 हर्ष तिवारी
7. कां0 अश्वनी उपाध्याय
8. कां0 अरमान अली
9. कां0 सचिन कुमार
10. कां0 गवेन्द्र सिंह